APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर ,बालोतरा बमुकाम बालोतरा

दलपत सिंह बनाम जोगसिंह

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का. अधि. 1955 नं. सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-02-23	अपीलान्टगण के वकील श्री अचलाराम थोरी उपस्थित। अपीलान्टगण की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उपतहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित आदेश क्रमांक 193 दिनांक 15.06.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के सलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्टगण की अपील मियाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हों। उत्तरदातागण जरिये नोटिस तलब हो एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जावे। पत्रावली वास्ते तलबी उत्तरदाता, अपीलाधीन अभिलेख आईंदा दिनांक 22.02.2023 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	
22/2/23 दलपतसिंह	पत्रावली पेश हुई। पक्षकार अपीलांट दलपतसिंह रेस्पोडेन्ट जोगसिंह उप.। पक्षकरान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी राजीनामा इस आशय का पेश किया कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के सह खातेदारी की भुमि खसरा 719/717 रकबा 80 बीघा मौजा कालाथल पखार क्षेत्र नवातला का बाई मिट्स एण्ड बाण्डस बंटवाडा सहमति से करवाने का आवेदन पत्र करार उप तहसीलदार पाटोदी को पेश किया, किन्तु बंटवाडा आदेश पारित करते समय मौके पर कब्जा काश्त रहवास पानी के टांको पशुओं के बाडों आवागमन के बिन्दु को ध्यान में नही रखकर सहमति के विपरित अपीलाधीन बंटवाडा का आदेश पारित अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	Identified by me

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया, जिसे एक दुसरे के कब्जा काश्त मे दखल होने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके निराकरण हेतु अपीलाधीन बंटवाडा आदेश दिनांक 15/06/2015 को निरस्त कर माफिक कब्जा काश्त हेतु बटवाडा करने हेतू प्रकरण पुन: उप तहसीलदार पाटोदी को रिमाण्ड किया जावे राजीनामा की इबारत को पक्षकारो को समझाइश सही होना स्वीकार करने पर राजीनामा जुदागाना तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया। उभय पक्षो को सुना, पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया। चुंकि प्रकरण में राजहित प्रभावित नही हो रहे है कि क्योंकि जिस भूमि का बंटवारा आदेश अपीलाधीन आदेश से किया गया वो निजी खातेदारों की भूमि है समस्त पक्षकारान ने उपस्थित होकर माफिक कब्जा काश्त अनुसार पुन: बटवाडा का अनुतोष चाहा है बाद गौर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 05 परिसीमा अधि. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मयाद शुमार कर अपील का निस्तारण माफिक गुणावगुणों कर किया जाता है। अत: उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील माफिक आपसी राजीनामा स्वीकार कर उप.तहसीलदार पाटोदी द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ/2015/193 दिनांक 15/06/2015 निरस्त कर प्रकरण पुन: प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माफिक कब्जा काश्त रिहायशीय ढाणियां आवागमन के बिन्दु को ध्यान मे रखकर पुन: सहमति से बटवाडा कर नये सिरे से आदेश करें। निर्णय की प्रति उप तहसीलदार पाटोदी को प्रेषित करें। निर्णय आज दिनांक 22/2/2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	